



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122020-223725  
CG-DL-E-16122020-223725

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4005]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2020/अग्रहायण 25, 1942

No. 4005]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020/AGRAHAYANA 25, 1942

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4559(अ).**—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड(घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड-(ii) तारीख 17 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.2666, तारीख 16 अक्टूबर, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्,-

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, पैराग्राफ (4) में, निम्नलिखित परंतुको को अंत में जोड़ा जाएगा अर्थात्,-

“परंतु यह और कि पैराग्राफ-1 में क्र.सं.(i) से (xxx) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों का चेन्नई और दिल्ली से संबंधित पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन की अधिकारिता के अधीन कन्नूर (केरल), नेपाल गंज रोड (रूपैडिहा, उत्तर प्रदेश) और पलवल (हरियाणा) में स्थित, यथास्थिति विमानपत्तनों या भूमिपत्तनों, के माध्यम से भारत में आयात अनुज्ञात होगा:

परंतु यह और कि पैराग्राफ-1 में क्र.सं. (xv) से (xxiv) तक और (xxv) से (xxx) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों का मुंबई में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन की अधिकारिता के अधीन मोरमुगाओ (गोवा) में स्थित समुद्रपत्तन के माध्यम से भारत में आयात अनुज्ञात होगा:

परंतु यह और कि विनश्वर मछली से संबंधित मदों के आयात के मामले में जो अनन्य रूप से मानव उपयोग के लिए है किंतु प्रजनन या संवर्द्धन प्रयोजनों से संबंधित बीज सामग्री को छोड़कर, आयात पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन, कोलकाता की अधिकारिता के अधीन खोवाई घाट (खोवाई, त्रिपुरा) और मनु (कैलाशहार, त्रिपुरा) में स्थित भूमिपत्तन के माध्यम से अनुज्ञात होगा।”

[फा. सं. एल-110110/17/2017-व्यापार]

गिरजा नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2666(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3356(अ), तारीख 10 दिसंबर, 2015, का.आ. 2640(अ), तारीख 3 अगस्त, 2016, का.आ. 3112(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, का.आ. 948 (अ), तारीख 22 मार्च, 2017, का.आ. 2486(अ), तारीख 4 अगस्त, 2017 और का.आ. 5758(अ), तारीख 16 नवंबर, 2018 और का.आ. 2679(अ) तारीख 10 अगस्त, 2020 के द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2020.

**S.O. 4559(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 2666, dated the 16<sup>th</sup> October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17<sup>th</sup> October, 2014, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in paragraph (4), the following provisos shall be added at the end, namely:-

“Provided also that livestock products listed at serial numbers (i) to (xxx) of paragraph I shall be allowed to be imported into India through the airport or land port, as the case may be, located at Kannur (Kerala), Nepal Ganj Road (Rupaidiha, Uttar Pradesh) and Palwal (Haryana) under the jurisdiction of respective Animal Quarantine and Certification Stations in Chennai and Delhi:

Provided also that Livestock Products listed at serial numbers (xv) to (xxiv) and (xxv) to (xxx), of para I shall be allowed to be imported into India through the sea port, located at Mormugao (Goa) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Station in Mumbai:

Provided also that in case of import of perishable fish items exclusively meant for human consumption but excluding seed material for breeding or rearing purposes, the import shall be allowed through the land port, located at Khowaighat (Khowai, Tripura) and Manu (Kailashahar, Tripura) under the jurisdiction of Animal Quarantine and Certification Stations in Kolkata.”

[F. No. L-110110/17/2017-Trade]

GIRJA NAND SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3356(E), dated the 10th December, 2015, S.O. 2640(E), dated the 3rd August, 2016, S.O. 3112(E), dated the 30th September, 2016, S.O. 948(E), dated the 22nd March, 2017, S.O. 2486(E), dated the 4th August, 2017, S.O. 5758(E), dated the 16th November, 2018 and S.O. 2679(E), dated the 10th August, 2020.